

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक क्लर्क (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

रामसिंह

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

केस प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं- 17/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इतिशयलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की लागील में जारी हुये।
18.01.17	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 53.88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाये। पत्रावली दिनांक 10.02.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">८</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 10.2.17 अनिकारी को नोटिस लाहिल होला जला शक्ति पीठासीन अधिवक्ता को निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 10.2.17...को प्रस्तुत करे। e 13.2.17</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 14.3.17 राजपरोका ने अक्का फेना क्रिया लाहिल मिलल हो। पीठासीन अधिवक्ता को निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 29.5.17...को प्रस्तुत करे। e</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 28/17 पीठासीन अधिवक्ता को निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 3-11-17...को प्रस्तुत करे। e</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 3.11.17 पीठासीन अधिवक्ता को निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 6-1-2017...को प्रस्तुत करे। e</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
6.12.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिवक्ता को निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 30.3.17...को प्रस्तुत करे।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 2-4-18 अक्का फेना के का 40 पीठासीन अधिवक्ता को निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर नही हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 12.4.17...को प्रस्तुत करे। e</p>	

13.5.18

पञ्जाब सरकार के अधिकार  
पञ्जाब सरकार के अधिकार  
पञ्जाब सरकार के अधिकार  
पञ्जाब सरकार के अधिकार  
पञ्जाब सरकार के अधिकार

14.5.18

पञ्जाबली न्याय को के ग्राट सिफिट  
में अटल सेवा केन्द्र कठौती में पेश  
हुई पञ्जाबली व राजपैरोकार के ग्राट  
उत्कृत जवाब का खवलोक्त किना  
जगा। वाडी ने वाड पेश कट मौजा कठौती  
के ख. नं. 1400 रकबा 635 बीघा 04  
मिल्वा मे से 15 बीघा अदि की खालेदारी  
कलजा काश के आघा पट चाली है।  
इस के संबेध में राजपैरोकार ने  
जवाब पेश कट निवेदन किना कि  
जादू कठौती की बीमती-सरकारी अदि को  
हस्पते के लिफेवाड पेश किना जाा है  
वाड गलत अदि कि किल्ल जौ मु भंजरा  
है जो लार्कजानिग प्रमोजन की बामि है तथा  
राजस्थान कारतवारी अदि 1777-78 की धारा  
16 के तहत इस अदि के खालेदारी अधिकार  
~~उक्त~~ उत्पन्न नहीं होते हैं तथा इस तथ्य  
की बामि को खालेदारी अधिकार देना  
मना है वाड गलत अदि का वर्षा मापनी शाद  
कठौती के ख. नं. 1505 जौ मु तालाब में जाता है  
जिह के कारण वाड गलत अदि इस तालाब की  
केचमेर शरिका की अदि है जिस के कारण राज.  
उच्च न्यायालय के निर्णय कल्लुत रफाअ  
बनाम सरदार से प्रभावित होने से खालेदारी  
अधिकार नहीं किने जा बनता है।  
राजपैरोकार के जवाब व पञ्जाबली के  
खवलोक्त से स्पष्ट होता है कि मौजा कठौती  
के ख. नं. 1400 रकबा 635-04 बीघा किल्ल  
जौ मु भंजरा पानी के बहाव क्षेत्र की अदि  
है जिस के खालेदारी अधिकार नहीं किने जा  
सकते है। अतः वाडी का वाड कल्लुत  
कट खालेदारी किना जाता है पञ्जाबली न्याय  
के समक्ष इफ्तार दाखिल हो।